न्यूज़ टुडे

RBI ने NBFCs की निगरानी के लिए वित्त उद्योग विकास परिषद (FIDC) को स्व-विनियामक संगठन का दर्जा प्रदान किया

FIDC वस्तुतः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में पंजीकृत **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) का प्रतिनिधि निकाय है।**

- **FIDC को स्व-विनियामक संगठन का दर्जा मिलने से NBFCs** के लिए बेहतर गवर्नेंस सुनिश्चित होगा।

स्व-विनियामक संगठन (SRO) के बारे में

- **उद्देश्य:** SRO का मुख्य उद्देश्य **उस क्षेत्रक के विकास, सुधार और पारदर्शिता के लिए काम करना है, जिसका वह प्रतिनिधित्व** करता है। साथ ही, व्यापक वित्तीय प्रणाली के भीतर **उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण चिंताओं का समाधान** करना भी इसका उद्देश्य है।
- **कानूनी आधार:** इसका कानूनी आधार विनियमित संस्थाओं (REs) के लिए स्व-विनियामक संगठनों (SROs) को मान्यता देने हेतु RBI का व्यापक फ्रेमवर्क, 2024 है।
- **SRO की पात्रता:**
  - SRO का गठन **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8** के तहत पंजीकृत एक **गैर-लाभकारी कंपनी** के रूप में किया जाएगा।
  - इसकी **पर्याप्त नेट वर्थ होनी चाहिए तथा इसकी शेयरहोल्डिंग अलग-अलग संस्थाओं के पास होनी** चाहिए। साथ ही, उसे **अपने क्षेत्रक की प्रतिनिधि संस्था** होना चाहिए। कोई भी संस्था SRO की **चुकता शेयर पूंजी का 10% या उससे अधिक नहीं** रखेगी।
- **SROs की जिम्मेदारियां:**
  - **सदस्यों के प्रति:** इसमें आचार संहिता तैयार करना, शिकायत निवारण और विवाद समाधान/ मध्यस्थता फ्रेमवर्क स्थापित करना आदि शामिल हैं।
  - **विनियामक के प्रति:** इसमें विनियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करना, संबंधित क्षेत्रक के विकास को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना और अग्रिम चेतावनी संबंधित रुझानों का पता लगाना शामिल है।
- **गवर्नेंस फ्रेमवर्क:**
  - आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AoA)/ उप-नियमों द्वारा शासी निकाय के कामकाज के तरीके का प्रावधान और SRO के कार्यों को निर्धारित किया जाएगा।
  - निदेशक मंडल में अध्यक्ष सहित कम-से-कम एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र होंगे।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के बारे में

- यह **कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत **पंजीकृत** होती है।
- **कार्य:** ऋण देने की गतिविधियों में सलग्न होना, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी शेयरों/ स्टॉक्स/ बॉण्ड्स/ डिबेंचर/ प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करना आदि। किंतु उनमें ऐसी कोई संस्था शामिल नहीं है जिनका मूल कारोबार कृषि कार्य, औद्योगिक गतिविधि, किसी वस्तु की खरीद बिक्री (प्रतिभूतियों के अलावा) अथवा कोई सेवा प्रदान करना तथा अचल सपत्ति की खरीद/बिक्री/ निर्माण है।
- बैंकों के विपरीत NBFC **देय जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती यह केवल सावधि जमाराशियां स्वीकार** कर सकती है। ये **भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं** हैं। ये अपने ग्राहकों को चेक जारी नहीं कर सकती है।
- **स्थिति:** 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार RBI में 9000 से अधिक NBFCs पंजीकृत हैं।

केंद्र सरकार ने 100 आकांक्षी कृषि जिलों (AADs) की पहचान की

29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अवस्थित इन जिलों को **प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY)** के तहत विकसित किया जाएगा।

- आकांक्षी कृषि जिलों (AADs) की पहचान **तीन प्रमुख कारकों** के आधार पर की गई है – निम्न उत्पादकता, कम फसल गहनता (crop intensity) और औसत से कम ऋण पहुंच।
- सरकार ने चयनित जिलों में योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए **100 केंद्रीय नोडल अधिकारी (CNOs) भी नियुक्त** किए हैं।
- योजनाओं के प्रभावी नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए **जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर समितियों** का गठन किया जाएगा।

प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के बारे में

- यह योजना **नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम** से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य देश के **112 सबसे पिछड़े जिलों का विकास** करना है।
- **अवधि:** 6 वर्ष (2025-26 से प्रारंभ)।
- **योजना अभिसरण:** यह योजना **100 कृषि जिलों में 11 मंत्रालयों की 36 केंद्रीय योजनाओं** का संतृप्ति (पूर्ण कार्यान्वयन) आधारित अभिसरण सुनिश्चित करेगी।
- **भौगोलिक समावेशन:** प्रत्येक राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश में चयनित जिलों की संख्या **निवल फसली क्षेत्र (Net Cropped Area)** और **परिचालनात्मक भूमि जोतों (Operational Holdings)** के अनुपात पर आधारित होगी।
  - हालांकि, **प्रत्येक राज्य से कम-से-कम एक जिले** का चयन किया जाएगा।
- **जिला स्तरीय नियोजन:** प्रत्येक चयनित जिले में **जिला धन-धान्य कृषि योजना (DDKY) समिति** बनाई जाएगी। इसकी अध्यक्षता **जिला कलेक्टर या ग्राम पंचायत** करेगी।
  - यह समिति जिले की **कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों की योजना** तैयार करेगी।
- **प्रगति की निगरानी:** प्रत्येक धन-धान्य जिले की प्रगति को **117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs)** के माध्यम से **केंद्रीय मॉनिटरिंग डैशबोर्ड** पर ट्रैक किया जाएगा।

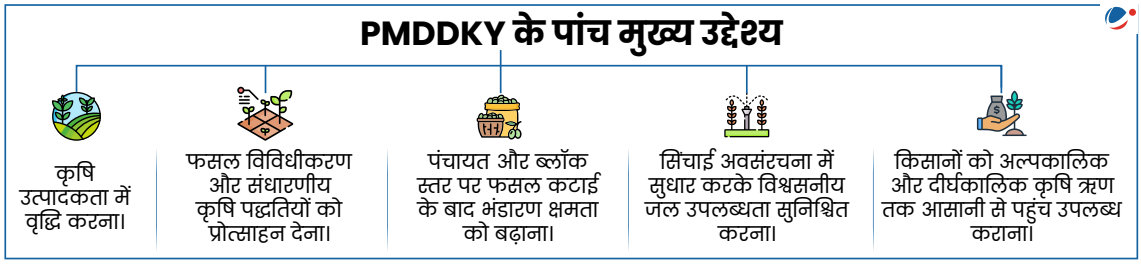

RBI ने रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के उपायों की घोषणा की

RBI ने भारतीय रुपये (INR) के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए नए उपायों की घोषणा की है। इससे **व्यापार और निवेश** के नए अवसर मिलेंगे।

- रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण का अर्थ है कि भारतीय रुपये को **वैश्विक व्यापार और वित्तीय लेन-देन के लिए उपयोग** किया जा सकेगा।

घोषित किए गए प्रमुख उपायों पर एक नजर

- **अनिवासियों को भारतीय रुपये में ऋण देना:** भारत में प्राधिकृत डीलर बैंकों और उनकी विदेशी शाखाओं को **बैंक सहित भूटान, नेपाल और श्रीलंका** के निवासियों को भारतीय रुपये में ऋण देने की अनुमति होगी।
- **पारदर्शी रेफरेंस रेट स्थापित करना: फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया लिमिटेड (FBIL) प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के सापेक्ष रुपये के लिए पारदर्शी रेफरेंस रेट** विकसित करेगा।
  - वर्तमान में, RBI **अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन और स्टर्लिंग** के लिए रेफरेंस रेट प्रकाशित करता है।
- **स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट्स (SRVAs) का उपयोग बढ़ाना: SRVA के बैलेंस** का उपयोग अब **कॉर्पोरेट बॉण्ड्स और कमर्शियल पेपर्स में निवेश** करने के लिए किया जा सकता है।
  - इससे पहले, **SRVA के बैलेंस को केवल केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति** थी।

मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ

- अपेक्षाकृत कम विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता होगी।
- विनिमय दर संबंधी जोखिम कम हो जाएगा (अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव और वैश्विक स्तर पर तरलता संबंधी दबाव से सुरक्षा)।
- आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी।
- व्यापार के प्रभाव को बढ़ावा मिलेगा (रुपये को एक स्थिर क्षेत्रीय मुद्रा के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी, जिससे वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका बढ़ेगी)।

स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट्स (SRVAs) के बारे में

- SRVA एक ऐसा खाता होता है, जिसे एक विदेशी बैंक द्वारा **भारतीय बैंक** में खोला जाता है, ताकि **व्यापारिक लेन-देन रुपये को विदेशी मुद्रा में बदले बिना सीधे भारतीय रुपये में निपटाए** जा सकें।

भारत को सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA अवॉर्ड 2025 से सम्मानित किया गया

भारत को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार **इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन (ISSA) द्वारा आयोजित वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम 2025** में प्रदान किया गया है।

- उल्लेखनीय है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज **2015** के **19%** से बढ़कर **2025 में 64.3%** हो गया है। इस प्रकार भारत में वर्तमान में **940 मिलियन से अधिक नागरिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे** में आ गए हैं। इसी उपलब्धि के लिए भारत को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)** ने इस कवरेज को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत ने अपने सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार कैसे किया?

- **कानूनों को सरल बनाकर:** जैसे- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 निर्मित की गई है। इसने 9 अलग-अलग कानूनों को मिलाकर सभी कामगारों, खासकर असंगठित क्षेत्रक के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की है।
- **डिजिटल और वित्तीय आधार मजबूत करके:** जैसे जन धन योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) आदि।
- **असंगठित और अनौपचारिक कामगारों को सुरक्षा प्रदान करके:** जैसे- ई-श्रम पोर्टल, अटल पेंशन योजना (APY), प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना आदि।
- **स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा का विस्तार करके:** जैसे- आयुष्मान भारत, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) आदि।
- **बीमा और पेंशन योजनाएं शुरू करके:** जैसे- प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) आदि।
- **महिला सशक्तीकरण करके:** जैसे- लखपति दीदी पहल, प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना आदि।
- **अन्य पहलें:** जैसे- नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल आदि।

भारत में सामाजिक सुरक्षा और इसकी आवश्यकता

- **सामाजिक सुरक्षा** वह सुरक्षा है, जिसे **समाज** व्यक्तियों एवं परिवारों को स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करने और आय सुरक्षा की गारंटी के लिए प्रदान करता है।
- इसे **मूलभूत मानवाधिकार** के रूप में मान्यता दी गई है।
- **भारत में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता:**
  - देश में अधिकतर कामगार **असंगठित क्षेत्रक** से जुड़े हैं।
  - **संयुक्त परिवार प्रणाली** के कमजोर होने से साझा संसाधनों के माध्यम से पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा में कमी आई है।
  - 2022-23 की विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार, 5.25% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं (3.00 डॉलर PPP प्रतिदिन के मानक पर)।

नीति आयोग ने भारत में विदेशी निवेशकों के लिए "स्थायी प्रतिष्ठान और लाभ निर्धारण पर कर नीति" नामक वर्किंग पेपर जारी किया

इस वर्किंग पेपर में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि भारत में **स्थायी प्रतिष्ठान नियमों से जुड़ी जटिलताएं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के आगमन या अन्तर्वाह को प्रभावित** करती हैं।

स्थायी प्रतिष्ठान के बारे में

- **स्थायी प्रतिष्ठान** व्यवसाय का एक निश्चित स्थान होता है, जहां उद्यम अपनी गतिविधियां पूर्णतः या आंशिक रूप से संचालित करता है।
  - स्थायी प्रतिष्ठान से यह तय होता है कि **किसी देश को विदेशी (ग़ैर-निवासी) कंपनियों के कारोबार से होने वाली आय पर कर लगाने का अधिकार** है। इससे निवेश के माहौल और पूंजी के प्रवाह पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
  - स्रोत देश (जहां स्थायी प्रतिष्ठान स्थापित है) को अपनी सीमाओं के भीतर **स्थायी प्रतिष्ठान के लाभ पर कर लगाने का अधिकार है।**
- भारत में **आयकर अधिनियम, 1961** में स्थायी प्रतिष्ठान के निर्धारण के लिए **"कारोबारी संबंध"** (Business Connection) पद का प्रयोग किया गया है और स्थायी प्रतिष्ठान की विशिष्ट परिभाषाएं मुख्य रूप से **दोहरे कराधान से बचाव समझौतों (DTAAs)** में मौजूद हैं।
  - भारत ने **महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (SEP) मानदंड** लागू करके स्थायी प्रतिष्ठान की परिभाषा का विस्तार किया है, ताकि उन **डिजिटल कारोबार पर कर लगाया जा सके जिनकी भारत में भौतिक उपस्थिति नहीं** है।
- **स्थायी प्रतिष्ठान नियमों से संबंधित मुद्दे:** परिभाषा के मामले में अस्पष्टता के कारण निम्नलिखित समस्याएं देखी जाती हैं-
  - कर संबंधी जोखिम,
  - अनुपालन संबंधी बोझ,
  - कर प्राधिकारियों और कंपनियों के बीच लाभ निर्धारण को लेकर अलग-अलग नजरिया,
  - आर्म्स लेंथ सिद्धांत का मिश्रित उपयोग आदि।

वर्किंग पेपर में की गई की प्रमुख सिफारिशें

- **वैकल्पिक प्रकल्पित कराधान योजना लागू करना:** कराधान के लिए उचित लाभ दर को पहले से निर्धारित करना चाहिए। इससे करदाताओं और कर प्राधिकारियों को निश्चितता प्रदान की जा सकती है।
- **कानूनी स्पष्टता सुनिश्चित करना:** OECD और संयुक्त राष्ट्र मॉडल्स के अनुसार स्थायी प्रतिष्ठान एवं लाभ निर्धारण संबंधी स्पष्ट सिद्धांतों को संहिताबद्ध करना चाहिए। साथ ही, भूतलक्षी कराधान (retrospective taxation) के खिलाफ नीति बनानी चाहिए।
- **मजबूत विवाद समाधान तंत्र:** विवाद के त्वरित निपटान के लिए **अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (APA) और पारस्परिक समझौता प्रक्रिया (MAP) का विस्तार** करना चाहिए।
- **हितधारक की सहभागिता:** कर नीति से संबंधित प्रमुख परिवर्तनों और करदाता चार्टर को लागू करने के मामले में **सार्वजनिक परामर्श को अनिवार्य** किया जाना चाहिए।

अन्य सुर्खियां

कैसिनी और एन्सेलेडस

नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान ने शनि के चंद्रमा एन्सेलेडस पर जीवन की संभावना के नए प्रमाण खोजे हैं। यह जानकारी शनि के उप-सतही महासागर से अंतरिक्ष में उत्सर्जित बर्फीले प्लूम्स में अतिरिक्त जटिल कार्बनिक अणुओं का पता लगाने के बाद मिली है।

कैसिनी अंतरिक्ष यान के बारे में

- यह **ग्रहों की खोज** से संबंधित मिशन था, जिसे **नासा (USA), ESA (यूरोप), और ASI (इटली)** ने मिलकर लॉन्च किया था।
- **उद्देश्य: शनि, इसके वलयों, चंद्रमाओं और चुंबकीय क्षेत्र** का विस्तृत अध्ययन करना।
- यह शनि मंडल में **हाइगेंस** नामक एक प्रोब लेकर गया था।

एन्सेलेडस के बारे में (शनि का बर्फीला चंद्रमा)

- **घूर्णन:** यह शनि के साथ **ज्वारीय बंधन (Tidally Locked)** बनाकर घूर्णन करता है।
  - ज्वारीय बंधन का अर्थ है कि किसी उपग्रह की **अपनी धुरी पर घूर्णन की गति** (Rotation Period) और **अपने ग्रह की परिक्रमा करने की गति** (Orbital Period) **एकदम बराबर** होती है।
- यह सौरमंडल का **सबसे चमकीला और सबसे अधिक परावर्तक (reflective) पिंड** है।

संरक्षित क्षेत्रों पर IUCN रिपोर्ट

IUCN के **विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग (WCPA) ने संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में जलवायु परिवर्तन शमन को एकीकृत करने** को लेकर एक रिपोर्ट जारी की।

इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर

- यदि **रणनीतिक रूप से चयनित भूमि के 30%** को संरक्षित किया जाए, तो इससे **500 अरब टन कार्बन को वनस्पति और मृदा** में संचित किया जा सकता है।
- यदि **महासागरों के 30%** भाग को संरक्षित किया जाए, तो इससे **पेरिस समझौते के अनुरूप** कार्बन उत्सर्जन में **20% की कमी** लाई जा सकती है।

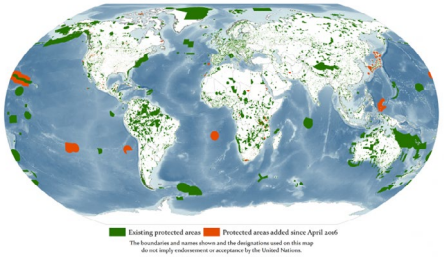

नेट-जीरो बैंकिंग गठबंधन

नेट-जीरो बैंकिंग गठबंधन को भंग कर दिया गया है, क्योंकि कई सदस्य बैंकों ने इस गठबंधन को छोड़ दिया था।

नेट-जीरो बैंकिंग गठबंधन के बारे में

- यह गठबंधन **2021 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के फाइनेंस इनिशिएटिव** के तहत स्थापित किया गया था।
- इसका उद्देश्य बैंकों को **अपने ऋणों और निवेशों के कार्बन फुटप्रिंट को घटाने** के लिए प्रेरित करना था तथा **2050 तक एक नेट-जीरो अर्थव्यवस्था** की ओर बढ़ने का समर्थन करना था।

NATO पाइपलाइन प्रणाली

पोलैंड अब **NATO पाइपलाइन प्रणाली** में शामिल होगा।

NATO पाइपलाइन प्रणाली के बारे में

- इसे **शीत युद्ध** के दौरान **NATO बलों** को ईंधन की आपूर्ति करने के लिए स्थापित किया गया था।
- **उद्देश्य:** यह आज भी **NATO अभियानों** के लिए **पेट्रोलियम उत्पादों** की आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित करती है।
- **दायरा:** यह प्रणाली **12 NATO देशों** में फैली हुई है, जो **स्टोरेज डिपो, मिलिट्री एयरबेस, सिविल एयरपोर्ट, रिफाइनरी, पंपिंग स्टेशन, और ट्रक/ रेल लोडिंग स्टेशन** को जोड़ती है।

स्टेबलकॉइन

वित्त मंत्री ने कहा कि स्टेबलकॉइन्स जैसे नवाचारों ने **धन और पूंजी प्रवाह** के परिदृश्य को बदल दिया है। अब देशों को नई मौद्रिक संरचनाओं के अनुसार स्वयं को ढालना होगा, नहीं तो वे कई तरह के लाभों से वंचित हो सकते हैं।

स्टेबलकॉइन के बारे में

- **परिभाषा:** स्टेबलकॉइन्स ऐसी क्रिप्टोकरेंसी होती हैं, जो स्थिर (स्टेबल) परिसम्पतियों से जुड़ी होती हैं, जैसे कि फिएट मुद्राएं (जैसे यू.एस. डॉलर), मुद्राओं का समूह, या कीमती धातुएं।
- **महत्त्व:**
  - ये **सामान्य क्रिप्टोकरेंसी** (जैसे बिटकॉइन) की तुलना में अधिक **स्थिर** होती हैं, ताकि उतार-चढ़ाव को कम किया जा सके।
  - इनका लेन-देन आसान और तीव्र होता है, खासकर सीमा-पार धन की आवाजाही के लिए।
- **संभावित जोखिम:**
  - ये **वित्तीय स्थिरता** के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकती हैं, और यदि बहुत से निवेशक **एक साथ अपनी स्टेबलकॉइन्स** को बेचने का प्रयास करते हैं, तो इससे **रन रिस्क** उत्पन्न हो सकता है।

आदिवासी ग्राम विज़न 2030 घोषणा-पत्र

देशभर के 1 लाख से अधिक आदिवासी बहुल गांवों और टोलों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इस दौरान **"आदिवासी ग्राम विज़न 2030 घोषणा-पत्र"** को अपनाया गया।

- **जनजातीय कार्य मंत्रालय** द्वारा शुरू किए गए **आदि कर्मयोगी अभियान** के एक भाग के रूप में इस घोषणा-पत्र को अपनाया गया है।
- यह घोषणा-पत्र गांवों को **उनके विकास के सक्रिय सह-निर्माता बनने का अधिकार** देता है, **जवाबदेही** बढ़ाता है, और प्रत्येक नागरिक की अभिव्यक्ति को **उनके समुदाय के भविष्य को आकार देने में शामिल** करता है।
- यह घोषणा-पत्र **सामुदायिक नेतृत्व वाले विकास** पर ज़ोर देता है तथा **शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, सामाजिक एवं वित्तीय समावेशन, और अवसंरचना** से जुड़े ठोस लक्ष्यों पर केंद्रित है।
- घोषणा-पत्र में यह भी प्रस्तावित किया गया है कि प्रत्येक गांव में **"आदि सेवा केंद्र"** स्थापित किए जाएंगे, जो नागरिकों के लिए **सिंगल-विंडो सेवा केंद्र** के रूप में कार्य करेंगे।

मड वोल्केनो

भारत के एकमात्र **मड वोल्केनो में 20 वर्षों बाद उद्गार** हुआ है। यह **बारातांग द्वीप (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)** में स्थित है।

मड वोल्केनो के बारे में

- यह एक **भौतिक संरचना** है, जिससे **गाद (मड), जल, और गैसों** (मुख्य रूप से **मीथेन**, कभी-कभी **कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन**) के मिश्रण का पृथ्वी की सतह पर उद्गार होता है। इससे **शंकु जैसे आकार** का निर्माण होता है, जो वास्तव में ज्वालामुखियों के समान होते हैं, लेकिन इनमें से **गर्म लावा** नहीं निकलता है।
- मड वोल्केनो आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां **प्राकृतिक गैस** मौजूद होती है।
- **मड वोल्केनो का उद्गार पृथ्वी की विवर्तनिक (टेक्टोनिक) शक्तियों या हाइड्रोकार्बन गैसों** के संचय के कारण होता है।

खांसी की सिरप में संदूषक

राजस्थान सरकार ने **डेक्स्ट्रोमेथोर्फन** वाली खांसी की सिरप के वितरण पर रोक लगा दी।

- डेक्स्ट्रोमेथोर्फन एक **ओपिओइड खांसी रोकने वाली दवा** है, लेकिन यह **5 साल से छोटे बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं** मानी जाती है।

खांसी की सिरप में **डायएथिलीन ग्लाइकोल (DEG) और एथिलीन ग्लाइकोल (EG)** की उपस्थिति को लेकर भी चिंता प्रकट की गई है।

- ये दोनों **रंगहीन औद्योगिक रसायन** हैं, जो **ब्रेक फ्लूइड, एंटीफ्रीज, पेंट, प्लास्टिक और कुछ घरेलू उत्पादों** में सामान्यत: इस्तेमाल होते हैं।
- इन्हें अक्सर सुरक्षित पदार्थ **प्रोपिलीन ग्लाइकोल (propylene glycol)** की जगह इस्तेमाल किया जाता है, जो एक सॉल्वेंट है और दवाओं को तरल रूप में घोलने में मदद करता है।
- DEG और EG **मनुष्यों के लिए बहुत ही विषाक्त** हैं तथा इनके सेवन से शरीर पर जहर जैसे प्रभाव और किडनी फेल होने जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।

वंदे मातरम

केंद्र सरकार ने **राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ** पूरे देश में मनाने की घोषणा की।

वंदे मातरम के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसकी **बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत** में रचना की थी और इसे पहली बार **'आनंदमठ'** (1882) उपन्यास में प्रकाशित किया था।
- **24 जनवरी 1950** को इसे **राष्ट्र गान (जन गण मन)** के बराबर दर्जा दिया गया।
  - **'जन गण मन'** मूल रूप से **रवींद्रनाथ टैगोर** द्वारा **बंगाली भाषा** में रचा गया था। **24 जनवरी 1950** को संविधान सभा ने इसे **हिंदी संस्करण** के रूप में अपनाया था।
- **थीम (विषय):** यह गीत **भारत माता को समर्पित** है तथा **भक्ति, साहस और एकता** की भावना को प्रेरित करता है।
- इसे **रवींद्रनाथ टैगोर ने 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन** में गाया था।